सूचना

सं. :सीआईएल /XI (D) : 04043/192/2003 दिनांक : 19 सितम्बर, 2003

कोल इण्डिया लिमिटेड की 29वीं वार्षिक सामान्य बैठक की सूचना

कोल इण्डिया लिमिटेड के सभी अंशधारकों को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि कम्पनी की 29वीं वार्षिक सामान्य बैठक गुरूवार 25 सितम्बर, 2003 को अपराह्न 3.00 बजे कम्पनी के पंजीकृत कार्यालय कोल भवन, 10, नेताजी सुभाष रोड, कोलकात्ता में निम्नलिखित कार्यों के निष्पादन के लिए सम्पन्न होगी :—

सामान्य कार्य :

1. 31 मार्च, 2003 तक के लिये अंकेक्षित तुलन-पत्र तथा 31 मार्च, 2003 को समाप्त वर्ष के लाभ एवं हानि विवरणों के साथ-साथ साँविधिक अंकेक्षकों, भारत सरकार के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक तथा निदेशक मण्डल के प्रतिवेदनों की प्राप्ति, उन पर विचार एवं उनको पारित करना।
2. अधिमानी शेयर पूँजी पर लाभाँश घोषित करना।
3. श्री लक्ष्मी चन्द, जो कम्पनी की नियमावली अनुच्छेद 33 (डी) (iii) की शर्तों के अनुसार सेवा निवृत्ति हो रहे हैं और पुनर्नियुक्ति के योग्य हैं, के स्थान पर एक निदेशक की नियुक्ति।
4. डा. एस. बेहुरिया, जो कम्पनी की नियमावली अनुच्छेद 33 (डी) (iii) की शर्तों के अनुसार सेवा निवृत्ति हो रहे हैं और पुनर्नियुक्ति के योग्य हैं, के स्थान पर एक निदेशक की नियुक्ति।
5. श्री एस.बी. घोष दस्तीदार, जो कम्पनी की नियमावली अनुच्छेद 33 (डी) (iii) की शर्तों के अनुसार सेवा निवृत्ति हो रहे हैं और पुनर्नियुक्ति के योग्य हैं, के स्थान पर एक निदेशक की नियुक्ति।
6. श्री एम.के. सिन्हा, जो कम्पनी की नियमावली अनुच्छेद 33 (डी) (iii) की शर्तों के अनुसार सेवा निवृत्ति हो रहे हैं और पुनर्नियुक्ति के योग्य हैं, के स्थान पर एक निदेशक की नियुक्ति।
7. श्री एम.के. थापर, जो कम्पनी की नियमावली अनुच्छेद 33 (डी) (iii) की शर्तों के अनुसार सेवा निवृत्ति हो रहे हैं और पुनर्नियुक्ति के योग्य हैं, के स्थान पर एक निदेशक की नियुक्ति।
8. निम्नलिखित प्रस्ताव का सामान्य प्रस्ताव के रूप में विचार करना और यदि उपयुक्त हो तो संसोधन (नों) सहित या रहित पास करना ।

बोर्ड के आदेशानुसार
ह./-
(डा. एच. सरकार)
कम्पनी सचिव

कोलकात्ता,
दिनांक 19 सितम्बर, 2003

टिप्पणी :

1. यदि कोई सदस्य, जो बैठक में भाग लेने एवं मतदान के अधिकारी हैं, चाहे तो अपनी ओर से किसी एक प्रतिनिधि को, जो उनकी ओर से मतदान करने के अधिकारी भी होंगे, की नियुक्ति हेतु सक्षम हैं। आवश्यक नहीं कि वह नामित व्यक्ति प्रतिनिधि कम्पनी का सदस्य ही हो।
2. कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 172 (2) के प्रावधान के अधीन कम्पनी के अंशधारियों से आग्रह किया जाता है कि वे अल्प सूचना के आधार पर कम्पनी की वार्षिक सामान्य बैठक बुलाने की स्वीकृति दें।